न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 50 / 2020
दायर दिनांक : 18.08.2020

अनवान

1. नन्दलाल पिता रामगोपाल जाति ब्राहमण निवासी खाचरोल हाल मुकाम जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
2. नारायणी पुत्री रामगोपाल पत्नि अर्जुन जाति ब्राहमण निवासी खाचरोल हाल मुकाम खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थीगण......

बनाम

1. रामगोपाल पिता कजोड़ जाति ब्राहमण निवासी खाचरोल तहसील माण्डलगढ़।
2. शम्भुलाल पिता कजोड़ जाति ब्राहमण निवासी खाचरोल तहसील माण्डलगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

अप्रार्थीगण.......

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.03.2021

प्रार्थीगण ने मूल वाद अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसे बाद जांच प्रस्तुत होने के पश्चात प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाने के आदेश दिये गये। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने एक पक्षिय स्थगन आदेश हेतु निवेदन करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2020 को अन्तरिम स्थगन आदेश का निवेदन स्वीकार करते हुये विपक्षीगण को मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर विपक्षीगण की तलबी की गयी।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में यह तथ्य अंकित किये कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 को पुश्तेनी जायदाद कृषि भूमि ग्राम खाचरोल पटवार हल्का खाचरोल तहसील माण्डलगढ़ की शहद में खाता संख्या 390 पर आराजी नम्बर 1000,1001,1002,1005, 1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,595 / 2,602 / 1,602 / 3,602 / 5,684,976 / 1,993,997 ,999 कुल किता 20 रकबा 8.2474 हेक्टेयर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान [illegible] भूमि विपक्षी रांख्या 1 व 2 के नाग पर प्रत्येक के 1/2 हिस्से दर्ज है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण क्रमांक 1 व 2 कजोड़ के वंशज है कजोड़ व [illegible] के बाद उनके उत्तराधिकारियों उनके दो पुत्रो विपक्षी नम्बर 1 व विपक्षी नम्बर 2 व विधवा सोसर के नाम पर दर्ज की गई। विपक्षी संख्या 1 रामगोपाल के हम प्रार्थीगण पुत्र [illegible] पुत्री है। हम प्रार्थीगण का जन्म से प्रत्येक का 1/6 हिस्सा पुश्तेनी जायदाद में है। हम पक्षकार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। प्रार्थीगण को और उनकी माता धापू बाई को रामगोपाल पुत्र कजोड़ जी ने घर से निकाल दिया। प्रार्थीगण कजोड़ के पोत्र पोत्री है। इसलिए उनका पुश्तेनी जायदाद में प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Ch
Date: 2021.04.12 14:18:36
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 उसके नाम पर 1/2 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में उनकी माता ...सर बाई की मृत्यु के पश्चात दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 पुश्तेनी जायदाद को प्रार्थीगण ... हिस्से को भी विपक्षी नम्बर 2 के बहकावे में आकर रहन विक्रय करने पर उजारू है। ...उसको ऐसा अधिकार नही है। यदि विपक्षी संख्या 1 के राजस्व रेकॉर्ड में उसका नाम दर्ज ...न से रहन विक्रय कर दिया तो प्रार्थीगण के कृषि भूमि सम्बन्धी अधिकारों का हनन होगा। दिनांक 14.08.2020 को विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को कहा कि उसने भूमि विक्रय का सौदा कर दिया है। इसलिए प्रार्थीगण को खेती नही करने देगें। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की मांग करते हुये विपक्षी संख्या 1 व 2 को रोका तो उन्होने कहा कि वादग्रस्त भूमि रेकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही है। प्रार्थीगण को जमीन नही करने देगें।

प्रार्थीगण प्रत्येक को उनके 1/2 हिस्से का काश्तकार घोषित कराया जावें व विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के हम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावें की वे प्रार्थीगण को कब्जे काश्त से बेदखल नही करें। पुश्तेनी जायदाद को अजनबी व्यक्तियो को विक्रय नही करे। यदि विपक्षी संख्या 1 व 2 अपने अवैध विक्रय के उद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण अपनी भूमि से वंचित हो जायेगें। जिससे उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी। विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत है।

विपक्षीगण की तलबी के पश्चात् विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने अपना संयुक्त जवाब प्रस्तुत करते हुये कई तथ्यात्मक एवं कानूनी बिन्दुओ का बचाव लिया।

विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण के सजरे बाबत् आपत्ति की एवं अपनी ओर से जवाब में सजरा बना कजोड़ की मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के 6 अत्तराधिकारियें का होना बताया। जिनमें कजोड़ की तीन पुत्रिया रामकन्या, गीता व भूला है। कजोड़ की मृत्यु के बाद उनके सभी वारिसान का उसमें हिस्सा है प्रत्येक के हिस्से में 1/6 हिस्सा आता है। पंचायत खाचरोल ने कजोड़ की पुत्रियो के हिस्से की कटोती कर केवल दो पुत्रो व उनकी विधवा के नाम भूगि दर्ज कर दी।

विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की माता की मृत्यु हुयी तो उनके हिस्से में दर्ज भूमि उनके पीछे बचे उनके पांच उत्तराधिकारियों दो पुत्रो विपक्षी नम्बर 1 रामगोपाल व विपक्षी संख्या 2 शम्भूलाल व तीनो लड़कियो रामकन्या, गीता व भूला के नाम नामान्तकरण खोला जाना था किन्तु रामकन्या, गीता व भूला ने अपने हिस्से को अपने भाईयो रामगोपाल व शम्भूलाल के पक्ष में छोड़ दिया। इसलिए रामगोपाल व शम्भूलाल प्रत्येक के नाम पर 1/2 हिस्से भूमि दर्ज हुयी है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 का भी जवाब रहा है। कि यदि किसी व्यक्ति को पिता, पिता के पिता व पिता के पिता के अतिरिक्त कही से भी सम्पति प्राप्त होती है तो वह पश्तेनी जायदाद में नही आयेगी। वह उसकी स्व. अर्जीत सम्पति में आयेगी इसलिए विपक्षी संख्या 1 को जो सम्पति हिस्सा उसकी माता व बहनों से प्राप्त हुआ है। वह पुस्तैनी जायदाद की श्रेणी में नहीं आकर स्व. अर्जित सम्पति की श्रेणी में आयेगा इसलिए रामगोपाल को प्राप्त 1/2 हिस्से में 1/6 हिस्सा है। जो पुस्तैनी जायदाद की श्रेणी में आयेगा।

प्रार्थीगण की माता धापुबाई ने विपक्षी संख्या 1 से 40 वर्ष पुर्व ... तोड लिए व प्रार्थीगण को लेकर अपने पीहर जोजवा चली ... प्रार्थीगण को न तो वादग्रस्त जायदाद जरीयेकाश्त के कब्जा रहा नही उन्हे किसी ... हक प्राप्त हुऐ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chau...
Date: 2021.04.12 14:18:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे दोनों पक्षों की ओर से राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित दस्तावेज पेश किये गये। प्रार्थीगण ने वर्तमान जमाबन्दी, कजोड जी के नाम दर्ज रही कृषि भूमि की जमाबन्दी व बाहर की जमाबन्दी प्रस्तुत की। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने जमाबन्दीयों के अतिरिक्त दो नामान्तकरण भी प्रस्तुत किये जो कजोड की मृत्यु के बाद उत्तरोत्तर उत्तराधिकारिता के क्रम में खोले गये।

...उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़

दिनांक 30.03.2021 को दोनों पक्षों की ओर विस्तृत बहस की गई एवं अपनी भिन्न न्यायालय के समय समय पर पारित न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये गये। कि न्यायालय द्वारा पक्षकारान के प्रस्तुत निर्णयों अभिभाषकगणो द्वारा की गई बहस पर ध्यान पूर्वक मनन व चिन्तन किया गया, प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व जवाब व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण प्रत्येक ने अपने को वादग्रस्त पुश्तेनी जायदाद कषि भूमि में 1/6 हिस्से का हकदार बताया एवं जो रिकॉर्ड प्रस्तुत हुआ है उससे स्पष्ट है कि कजोड़ जी की जब निंवसीयत मृत्यु हुयी तब उनके 6 उत्तराधिकारी थे। प्रार्थीगण 3 ने उत्तराधिकारी बताकर जितने हिस्से की मांग की है। उचित प्रतीत नही होती है। हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार सभी वारीसान् के समान अंश होते है। पंचायत खाचरोल ने नामान्तकरण कजोड़ की मृत्यु के पश्चात निर्णित किया व गलत निर्णित किया। जब पटवारी हल्का ने कजोड़ के सभी वारीसान के नाम नामान्तकरण की सिफारिस की थी। पंचायत ने पुत्रियों के विवाहित होने व ससुराल ग्रें रहने व उनके द्वारा हिस्से की मांग नही करने को आधार बना पुत्रियों के हिस्से को विलोपित कर दिया व कानून सम्मत नही था विपक्षी संख्या 1 रामगोपाल का 1/3 हिस्सा नही बनता है। प्रार्थीगण द्वारा रामगोपाल विपक्षी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा गलत बताकर प्रार्थनापत्र लाया गया है। 1/6 हिस्से के अतिरिक्त जो कृषि भूमि के हिस्से विपक्षी संख्या 1 को भाई व बहनो से प्राप्त हुये है व पुश्तेनी जायदाद में नही जोड़े जायेगें। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में माता के हिस्से में केवल पुत्र एवं पुत्रियों का अधिकार मिलते है पोत्र व पोत्रियों का उस स्थिति में अधिकार मिलेगे जब उनके पिता की मृत्यु हो गयी है। इस प्रकार बहनो से प्राप्त हिस्से में भाई के पुत्र पुत्रिया हिस्सा में से अधिकारी नही होती है।

प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट नही किया है कि प्रार्थनापत्र के तथ्यो की पुष्टि में वे जो अपना हिस्सा बताकर जरिये काश्त के कब्जा होना बताया है उसका खसरा नम्बर व रकबा क्या है न ही अपने कब्जे के सम्बन्ध में कोई राजस्व रिकॉर्ड अथवा गवाहावान के शपथपत्र प्रस्तुत कर कब्जे की पुष्टि करवाई है। कब्जेधारी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जांना न्यायसंगत नही होगा। यदि प्रार्थीगण को कोई हिस्सा बनता है तो वह तनकी के बाद आने वाली साक्ष्य से तय किया जायेगा। तभी यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रार्थीगण कितने हिस्से के हकदार है। यदि प्रकरण की सुनवाई के दौरान किसी प्रकार का अन्तरण होता है तो उसका क्या प्रभाव प्रार्थीगण के हितो पर होगा सुनिश्चित किया जायेगा। प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष निम्न न्यायिक उदाहरण प्रस्तुत किये।

1 CJ 2018 (3) CIVIL (SC) PAGE 866
2 RRD 2020 PAGE 132
3 BJ 2005 PAGE 512
4 RRD 2006 PAGE 294-295
5 RBJ 2005 PAGE 405
6 RRD 2014 PAGE 74
7 RRD 2016 PAGE 580
8 RRD 2020 PAGE 308

Signature Not Verifi
Digitally signed by Utsah
Date: 2021.04.12 14:18:3
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के विवेचन के बाद जो तथ्य प्रकट हुये प्रार्थनापत्र के तथ्यो एवं प्रस्तुत रूलिंगो के तथ्य भिन्न होने से प्रार्थीगण के मामले में प्रस्तुत निर्णय लागू नही होते है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के जवाब के परिपेक्ष में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण स्पष्ट रूप से सिद्ध नही हुआ है। प्रार्थीगण के हिस्से बाबत विवाद मूल वाद में तय होना है। कब्जा भी प्रार्थीगण का होना सिद्ध नही हुआ है। विपक्षीगण की और से निम्न न्यायिक उदाहरण प्रस्तुत की गई।

1 RLW 2007 (RJ) PAGE 960

2 RBJ 2007 PAGE 263
3 RBJ 2020 PAGE 159
4 RRD 2017 PAGE 286
5 RBJ 2016 PAGE 245
6 RRD 2011 PAGE 480
7 RLW 2015 (02) RJ PAGE 1332
8 RLW 2017 (1) RJ PAGE 649
9 RRD 2008 PAGE 762
10 AIR 1995 HP 92
11 AIR 1995 ORRISSA 300
12 SC JUDGMENT 2018 MANGAMMAL V/S TB RAJU
13 AIR 1995 KARNATAK 35

प्रस्तुत न्यायिक उदाहरण विपक्षीगण द्वारा की गई बहस एवं बहस के दौरान बताये गये उत्तराधिकार के क्रम में एवं राजस्थान काश्त अधिनियम के धारा 212 के प्रार्थनापत्र के निस्तारण के मार्ग दर्शन करते है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जहा तक सुविधा सन्तुलन के बिन्दू पर विचार किया जाये तो प्रार्थीगण के लिये आवश्यक है कि यदि न्यायालय से न्यायिक विवेकाधीन के तहत किये जाने वाली अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहे तो उन्हे सुस्पष्ट तथ्यो पर प्रकरण प्रस्तुत करना चाहिए प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को इस बिन्दू के उनकें पक्ष में तय करने के लिये बेश साक्ष्य नही है। जहा अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है। प्रार्थीगण का काबिज होना व काश्त करना साबित नही करवाया गया है। इसलिए यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही जाता है।

अतः न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षिय स्थगन आदेश दिनांक 18.08.2020 अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र गणावगुण पर विचार कर खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudh
Date: 2021.04.12 14:18:36 IST
Reason: SelfAttested